# कार्यालय कलेक्टर, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /573/ CSSDA/काऊंसलर/भर्ती/2020–21 राजनांदगांव, दिनांक 23/12/2020

## –::प्रेस विज्ञप्ति::–

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के नवीन गाईडलाईन के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण के पूर्व कौशल प्रशिक्षण हेतु चिन्हांकित युवाओं की व्यक्तिगत (वन टू वन) काऊंसिलिंग अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक/739/CSSDA/San._Coun./2020 रायपुर, दिनांक 13/11/2020 के निर्देशानुसार संकल्प परियोजना के अंतर्गत जिले में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को उनकी रूचि का आंकलन कर बाजार में उपलब्ध रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करते हुए, उनको उचित कोर्स के चयन हेतु निर्णय लेने में सहायता करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला मुख्यालय में स्थित लाईवलीहुड कॉलेज में काउंसिलिंग सेल की स्थापना किया जाना है।

काऊंसलर पद हेतु अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 18/01/2021 को सांय 05:00 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप मे कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण, राजनांदगांव में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

<u>काऊंसिलिंग सेल हेतु आवेदित पद</u> :– काऊंसलर

<u>काऊंसिलिंग सेल हेतु रिक्त पदों की संख्या</u> :– 03

<u>आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि</u> :– 28/12/2020

<u>आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि</u> :– 18/01/2021

<u>काऊंसलर की अर्हता :–</u>

1. न्यूनतम योग्यता किसी विषय/संकाय में स्नातक उपाधि।
2. एम.ए. (मनोविज्ञान/समाजशास्त्र)/मास्टर ऑफ सोशल वर्क/एम.बी.ए. उपाधिधारक को वरियता।
3. बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेखित योग्यता होने पर प्रेरक/रोजगार सहायक/ग्राम सचिव इत्यादि को भी काऊंसलर के रूप में चयन किया जा सकता है।

<u>काऊंसलर की चयन प्रक्रिया :–</u>

काऊंसलर के रूप में चयन के लिए आवेदक को निर्धारित 100 अंक में से न्युनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, अंको का विभाजन निम्नानुसार है :–

| क्र | चयन का आधार | अंको की गणना | | | | कुल प्राप्त अंक (I)+(II) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शैक्षणिक योग्यता | (I) स्नातक (प्राप्तांक प्रतिशत का 20%) | | (II) स्नातकोत्तर (प्राप्तांक प्रतिशत का 20%) | | अधिकतम 40 अंक |
| | | | | | | |
| 2 | काऊंसिलिंग से संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव | 5 वर्ष या अधिक (50 अंक) | 3 वर्ष या अधिक (30 अंक) | | 2 वर्ष या अधिक (20 अंक) | अधिकतम 50 अंक |
| | | | | | | |
| 3 | साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त अंक (निर्धारित 10 अंक में से) | | | | | |
| | कुल प्राप्त अंक (1+2+3) | | | | | |

**काऊंसलर द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य –**

1. काऊंसिलिंग के दौरान राज्य एवं जिला अंतर्गत पूर्व से उपलब्ध तथा भविष्य के संभावित रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों से हितग्राहियों को अवगत करावें तथा स्वरोजगार हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम प्राप्त होने वाले ऋण तथा उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारियों का व्याख्यान/प्रस्तुतीकरण कराये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
2. काऊंसिलिंग के दौरान प्रत्येक हितग्राही की शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का भी आंकलन किया जायेगा।
3. काऊंसिलिंग में सम्मिलित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु काऊंसिलिंग के दौरान कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण उपरांत सफल युवाओं के व्याख्यान (सफलता की कहानी) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
4. काऊंसलर को, राज्य प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर काऊंसिलिंग से संबंधित कार्यवाही ऑनलाईन किये जाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें काऊंसलर द्वारा काऊंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी प्रविष्ट की जायेगी।
5. काऊंसिलिंग का आयोजन जिला मुख्यालय में स्थित लाईवलीहुड कॉलेज के भवन में आयोजित किया जायेगा।
6. लाईवलीहुड कॉलेज में काऊंसिलिंग होने का समुचित प्रचार–प्रसार करना होगा।
7. काऊंसिलिंग हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
8. काऊंसिलिंग हेतु किये गये भुगतान का व्यय की जानकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के 30 तारीख तक प्रेषित करना अनिवार्य है।

**काऊंसलर को मानदेय का भुगतान :–**

1. काऊंसलर को मानदेय अधिकतम 750 रू. प्रति काऊंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा। काऊंसलर्स का भुगतान, काऊंसिलिंग रिपार्ट प्रस्तुत करने तथा सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा आंकलन करने के पश्चात् होगा। (माह में अधिकतम 20 काऊंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है।)
2. काऊंसलर को उनके निर्धारित मानदेय का भुगतान निम्न आधार पर किया जाना है–
   – काऊंसलर द्वारा काऊंसिलिंग के समय तैयार किये गये प्रतिवेदन,
   – फोटोग्राफ्स तथा
   – काऊंसिलिंग में उपस्थित युवाओं के प्रशिक्षण बैच में प्रशिक्षणार्थियों के रूप में पंजीयन।

**काऊंसलर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।**

काऊंसलर द्वारा युवाओं के काऊंसिलिंग के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में जाकनारी प्राचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज को प्रस्तुत किया जाना है।

काऊंसिलिंग रिपोर्ट से संबंधित निम्न जानकारी होगी –

1. काऊंसिलिंग में उपस्थित हितग्राहियों का उपस्थिति पत्रक।
2. उपस्थित हितग्राहियों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का विवरण।
3. काऊंसिलिंग के दौरान हितग्राही अनुसार उनके रूचि एवं संबंधित कोर्स मैपिंग की जानकारी।
4. काऊंसिलिंग से संबंधित फोटोग्राफ्स।
5. कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी।
6. काऊंसिलिंग उपरांत हितग्राहियों का डेटाबेस सीएसएसडीए पोर्टल में इन्द्राज।
7. अन्य आवश्यक जानकारी।

# कार्यालय कलेक्टर, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, राजनांदगांव (छ.ग.)

| काऊंसिलिंग का स्थान ........................................ | | | | | | | काऊंसिलिंग की तिथि .................. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | हितग्राहियों का नाम | रूचि | रूचि से संबंधित सेक्टर | हितग्राही का व्यक्तिगत विवरण | | | कोर्स जिसमें प्रशिक्षण लिया जाना है | आधार नम्बर | क्या हितग्राही उक्त कोर्स हेतु योग्य है |
| | | | | शैक्षणिक | सामाजिक | आर्थिक | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर –
काऊंसलर का नाम –
मोबाईल नम्बर –

(कोर्सवार रिपोर्ट हार्ड कॉपी में तथा पोर्टल में अपलोड किया जाना होगा)

**काऊंसलर की कार्य अवधि :–**

(काऊंसिलिंग कार्य अवधि में विस्तार या भविष्य में काऊंसिलिंग कार्य की निरंतरता हेतु आवश्यक)

– संकल्प परियोजना के क्रियान्वयन तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर।

– काऊसिंलिंग के उपरांत हितग्राही का प्रशिक्षाणार्थी के रूप में परिवर्तित होने के प्रतिशत (न्युनतम 60 प्रतिशत) के आधार पर।

– प्रशिक्षण बैच के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के नियमित उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज के आधार पर किया जायें।

– काऊंसिलिंग के पश्चात्, प्रशिक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों का बैच तैयार कर प्रशिक्षण हेतु आवेदित ट्रेनिंग बैच नम्बर (टीबीएन) एवं संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता में प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों की नियमित उपस्थिति के आधार पर काऊंसलर का मूल्यांकन किया जाये।

**आवेदन हेतु नियम एवं शर्तें :–**

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें। आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट https://rajnandgaon.nic.in/ पर देखा जा सकता है।
2. काऊंसलर का चयन जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित साक्षात्कार समिति की अनुशंसा के पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम रूप से सर्वमान्य होगा।
4. निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
5. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त/अपात्र करने योग्य होंगे।
6. आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नम्बर तथा पता सही एवं स्पष्ट भरें।
7. शासकीय विभागों अथवा अन्य संस्थान में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. चयन प्रक्रिया – प्राप्त आवेदन पत्रों में दावा आपत्ति प्राप्त करने के उपरांत निर्धारित अर्हता के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदको को 1:5 अनुपात में साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। तत्पश्चात् निर्धारित अर्हता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़कर अंतिम सूची तथा प्रतिक्षा सूची तैयार की जायेगी।
9. आवश्यकता अनुसार काऊंसलर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जा रहीं है। आगामी समय में अतिरिक्त काऊंसलर की आवश्कता होने पर प्रतिक्षा सूची से उक्त पद पर नियमानुसार भर्ती की जावेगी।
10. पदों की संख्या राज्य कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई है। राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई एवं बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।

# कार्यालय कलेक्टर, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, राजनांदगांव (छ.ग.)

11. अहर्ताधारी इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन, वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय – कलेक्टर, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, संयुक्त कार्यालय के सामने, कलेक्ट्रोरेट परिसर, जिला राजनांदगांव, पिन – 491441 में दिनांक 18/01/~~2020~~ 2021 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।

12. आयु प्रमाण–पत्र हेतु 10वीं कक्षा की अंक सूची संलग्न करें।

13. कौशल प्रशिक्षण/कैरियर/शिक्षा क्षेत्र से संबंधित काऊंसिलिंग कार्य का अनुभव ही मान्य होगा।

14. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है।

15. साक्षात्कार हेतु तथा काऊंसिलिंग सेल तक आने जाने हेतु किसी प्रकार का वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

16. काऊंसिलिंग कार्य हेतु राज्य प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गए निर्देशों का पालन करना होगा।

17. आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आप इस कार्य के लिए निर्धारित आवश्यक अर्हता रखते है।

22/12/2020

कलेक्टर
जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)